तमिल्सेल्वम

बनाम

पुलिस निरीक्षक तमिलनाडु द्वारा स्टेट आर.ई.पी.

(आपराधिक अपील संख्या 1071/2006)

5 अगस्त, 2008

(अल्तमस कबीर और मार्कन्डेय काटजू, जे.जे.)

आपराधिक विचारणः हत्या/आपराधिक मानव वध- अभियुक्त चंदन तस्करों ने कथित तौर पर एक वन रक्षक को गोली मार दी और अन्य को घायल कर दिया- विचारण न्यायालय ने छह अभियुक्तों को हत्या के अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. का दोषी पाकर उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया- उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को छोड़कर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया- शुद्धता- निर्णीतः एफ.आई.आर. में किसी भी व्यक्ति का नाम आरोपी के रूप में नहीं है, लेकिन बाद में अभियुक्त व्यक्तियों को नामों से फंसाया गया है- एफ.आई.आर. में दिए गए संस्करण और विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के बीच तात्विक विसंगतियां पाई गई- अभियोजन पक्ष के गवाह केवल चाँद की या अभियुक्त के हाथ में तथाकथित रूप से मशाल की रोशनी से किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं की जा सकती थी- इस प्रकार अभियुक्त की पहचान संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं की गई है। तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, क्योंकि अपीलार्थी अभियुक्त का मामला अभियुक्त संख्या 2 से 6 से भिन्न नहीं है, अपीलार्थी संख्या 1 की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता- किसी भी हाल में, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।

सूचना देने वाले, एक वन रक्षक ने पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा गया कि कुछ चंदन तस्कर ने वन क्षेत्र में सतर्कता ड्यूटी के दौरान एक वन रक्षक को गोली मार दी और एक माली को घायल कर दिया। पुलिस ने प्रकरण में जांच की और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 से 6 को धारा 302 भा.दं.सं. में दण्डनीय हत्या के अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास से दण्डित किया। अपील में उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 2 से 6 को दोषमुक्त कर दिया पर अभियुक्त संख्या 1 के विरुद्ध दोषसिद्धि और दण्ड को यथावत रखा। इसलिए, वर्तमान अपील अपील पेश की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है। अभियुक्तों को 50 व्यक्तियों के समूह में अज्ञात व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.1.1996 प्रातः 6:30 बजे दर्ज की गई थी, जबकि घटना की तारीख 27.1.1996 और समय रात्रि 10.30 थी। इस प्रकार घटना के समय और एफ.आई.आर. दर्ज करने के बीच आठ घंटे का समय अंतराल है। (पैरा-6) [893-ई-एफ]

1.2 प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए संस्करण व विचारण न्यायालय के समक्ष हुए बयान के मध्य विभिन्न तात्विक विसंगतियां पाई गई हैं। अभियोजन पक्ष के अभियोजन साक्षियों के इस संस्करण को स्वीकार करना मुश्किल है कि वे केवल चांद की रोशनी में किसी भी अभियुक्त को पहचान सकते थे। अभियोजन पक्ष के अभियोजन

साक्षियों की साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण मशाल ले जा रहे थे, परंतु ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पीड़ित, मृतक वन रक्षक व घायल माली, जिन्हें आग से चोटें आईं, के पास भी मशाल थी। चूंकि अभियुक्त के पास ही तथाकथित रूप से मशाल थी, यह विश्वास करना कठिन है कि अभियोजन साक्षी हमलावरों को पहचान सकते थे। स्थिति भिन्न होती अगर वन रक्षकों के पास मशालें होतीं, जिन्हें वे हमलावरों पर इंगित करते, परंतु यहां स्थिति उल्टी है। बल्कि हमलावरों के पास मशाल होने से अभियोजन साक्षी आंशिक रूप से मसाल की रोशनी से चौंधिया गए होंगे और किसी की पहचान नहीं कर पाए होंगे। (पैरा-7 & 9) [893-जी-एच, 894-सी-डी]

1.3 प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है। अभियुक्त संख्या 1 से 6 को बाद में ही नाम से फंसाया गया है। घटना के 8 घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस तरह अभियोजन के मामले में पश्चातवर्ती सुधार की संभावना थी। वन रक्षक पी.डब्ल्यू.1, जो सूचना देने वाले पहले व्यक्ति हैं, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने प्राथमिकी में आरोपियों के नामों का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि वह हमले और दूसरे वन रक्षक की मौत के कारण सदमे में था और इसलिए आरोपियों के नाम उसके दिमाग में नहीं आए। सूचना देने वाले के इस बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद नहीं, बल्कि उसके 8 घंटे बाद दर्ज की गई थी। इन 8 घंटों के बाद सूचना देने वाले को लगा सदमा कुछ कम हुआ और तत्पश्चात उसके द्वारा अभियुक्तगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करने का कोई उचित कारण नहीं था जब उसने वास्तव में उन्हें देखा और पहचाना हो। (पैरा-10) [894-ई-एफ, जी-एच]

1.4 पी.डब्ल्यू. 3 माली ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने पुलिस को जांच के दौरान बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर और अन्य लोगों पर

गोली चलाई थी। यह बचाव पक्ष के बयान की भी पुष्टि करता है कि वास्तव में अभियोजन पक्ष के अभियोजन साक्षियों द्वारा किसी भी हमलावर की पहचान नहीं की गई थी और यह केवल अभियोजन के मामले में पश्चातवर्ती किया गया सुधार है। पी.डब्लू. 3 ने यह भी कथन किया कि घटना के पश्चात पुलिस निरीक्षक ने उसे आरोपियों की पहचान करने के लिए नहीं कहा। चूँकि उसने यह कथित किया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस पर और मृतक पर गोली चलाई गई थी, मुख्य परीक्षण में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उस पर गोली चलाने का संस्करण विश्वास योग्य नहीं है। इस न्यायालय की राय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक और एक अन्य पर गोली चलाई गई थी। किसी भी हाल में संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए। (पैरा-14 & 15) [895 जी, एच, 896-बी- सी]

1.5 सूचक पी.डब्लू. 1 की साक्ष्य में अन्य विसंगति यह है कि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह उल्लेख किया कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा देशी बंदूक से गोली चलाई गई थी जिससे मृतक, वन रक्षक व दूसरे व्यक्ति, माली को चोटें आई थीं, परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि जब अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उस पर गोली चलाई गई थी, तब उसे व दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ था, केवल माली को चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण में ऐसा कहीं अंकन नहीं है कि आरोपी संख्या 1 द्वारा गोली चलाने से मृतक को भी चोटें आई थीं। (पैरा-11) [895- ए, बी, सी]

2.1 साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि लगभग छह अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाई थी, जिसके कारण वन रक्षक की मौत हो गई थी और एक माली को चोटें आई थीं और बाकी लोगों ने पत्थर फेंके थे, परंतु इन हमलावरों की पहचान संतोषजनक रूप से विशेष रूप से इसलिए साबित नहीं हुई क्योंकि रात के 10.30 बजे थे व चाँद की रोशनी के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। अपीलार्थी की दोषसिद्धि इन तथ्यों पर यथावत रखना सही नहीं है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए जो आपराधिक

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है। आगे, ऐसी कोई साक्ष्य यह इंगित नहीं करती है कि तथाकथित रूप से गोली चलाने वाले छह व्यक्तियों में से मृतक की मृत्यु अपीलार्थी के गोली चलाने से ही हुई थी। (पैरा-12) [895 सी डी ई]

2.2 अपीलार्थी का मामला अभियुक्त संख्या 2 से 6 से ज्यादा भिन्न नहीं है, क्योंकि साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि सभी छह अभियुक्तगण द्वारा गोली चलाई गई थी। चूंकि अभियुक्त संख्या 2 से 6 को दोषमुक्त किया जा चुका है, केवल अपीलार्थी संख्या 1 की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है। (पैरा-13) [895 ई, एफ]

2.3 मामले के तथ्यों पर अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की भा.दं.स. की धारा 302 और अन्य प्रावधानों में दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। (पैरा-17) [896 ई-एफ]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक संख्या 1071/2006

मद्रास उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 1438/2002 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 9/11/2004 से

अपीलार्थी की और से विनयगम बालन और सत्य मित्र गर्ग, एम. करपागा विनयगम, बी. बालाजी, आर. राजेश्वरन।

प्रत्यर्थी के लिए वी.जी. प्रगसम।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा दिया गया।

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 1438/ 2002 के विवादित निर्णय दिनांक 09.11.2004 के विरुद्ध दायर की गई है।

2. अपीलार्थी श्री एम. करपगविनयगम व प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता श्री वी. कनगराज को सुना गया।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष भा.दं.सं. की धारा 302 व अन्य प्रावधानों में 10 अभियुक्तगण आरोपित थे। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण संख्या 1 से 6 को भा.दं.सं. की धारा 302 व अन्य प्रावधानों में दोषसिद्ध पाया गया था और उन्हें भा.दं.सं. के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आजीवन कारावास व अन्य विभिन्न दंड देते हुए दोषसिद्ध किया गया।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अभियुक्तगण संख्या 2 से 6 को दोषमुक्त किया गया, परंतु अभियुक्त संख्या 1, अपीलार्थी, की धारा 302 आदि में दोषसिद्धि को यथावत रखा गया। उससे व्यथित होकर अभियुक्त संख्या 1 द्वारा हमारे समक्ष यह अपील पेश की गई।

5. मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट एस. इलनगोवन द्वारा दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य निम्नरूपेण हैं:-

> "सेवा में, पुलिस निरीक्षक, अयिलपट्टी पुलिस स्टेशन, विषय श्री स्वामीनाथन, वन रक्षक की पिलेनाडू आरक्षित वन में तस्करी गतिविधि को निवारित करने के कर्तव्य के दौरान चंदन लकड़ी तस्करों द्वारा गोली मारने से हुई मृत्यु की शिकायत के संदर्भ में, विनम्रपूर्वक निवेदन, कल दिनांक 27.01.1996 की रात्रि लगभग 10;30 बजे मैं व मेरे साथ पिलेनाडू बीट के वन रक्षक श्री कालियापेरुमल, पुडुपट्टी पश्चिम बीट के वन रक्षक श्री रामलिंगम, पिलनाडु उत्तर बीट के वन रक्षक श्री राजेंद्रन, नामक्कल रेंज के वन रक्षक हाल रासीपुरम रेंज में विशेष डयूटी पर पदस्थापित श्री स्वामीनाथन की ओर से वन रक्षक

चिन्नामनियन और माली राजा कनावाई पट्टी गाँव में वियालानकुट्टई कोल्लाडे मार्ग पर, जो पिलेनाडू आरक्षित वन की पूर्वी सीमा से 1/2 किलोमीटर दूर है में सतर्कता डयुटी कर रहे थे। उसी समय हमने देखा कि एक भीड़ अपने सिर पर चंदन लकड़ी लेकर हमारी ओर आ रही है। उन्होंने स्वयं को सतर्क किया और मैंने उन्हें लकड़ी को नीचे रखने की चेतावनी देते हुए अपनी दो नाली बंदूक से हवा में गोली चलाई। हमलावरों ने भी तुरंत हमारी तरफ गोली चलाई। मेरे पास खड़े वन रक्षक श्री रामलिंगम ने हमलावरों को आगाह करते हुए एक बार गोली चलाई। फिर हमें पता चला कि हमलावरों के समूह की संख्या 50 से 60 होगी। उपरोक्त सभी व्यक्ति लकड़ियां नीचे रखने के बाद हमारी तरफ पत्थर फेंकते हुए और गोली चलाते हुए आए। तभी हम में से श्री स्वामीनाथन गोली लगने से गिर गए। हमारी जान को खतरा होने से हम मौके से भाग गए और आरक्षित वन से बाहर आ गए। वन से बाहर आने के पश्चात मैंने वन रेंजर को सूचना दी। वन रेंजर एक दल के साथ आए और उनके साथ मैं घटनास्थल पर गया। हमें स्वामीनाथन खून से लथपथ मृत पड़ा मिला। चंदन लकड़ी के तस्कर घटनास्थल पर नहीं थे। हमने शव की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की और यह शिकायत आयिलपट्टी पुलिस स्टेशन में आने के बाद पेश की। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई करें। प्रतिलिपि रसीपुरम वन रेंजर को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित"

6. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट

के प्रारंभ में कॉलम 6 में अभियुक्तगण का वर्णन '50 व्यक्तियों के समूह में अज्ञात व्यक्तियों' के रूप में किया गया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.01.1996 प्रातः 6:30 बजे दर्ज हुई, जबकि घटना की दिनांक 27.01.1996 और समय अपराहन 10.30 था, अतः घटना के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में आठ घंटे का समय अंतराल है।

7. हालाँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। वन रक्षक इलनगोवन (जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई) ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में घटना में बंदूक चलाने वाले व्यक्तियों के रूप में अभियुक्तगण संख्या 1 से 6 का नाम लिया। हमने विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए बयान और विचारण न्यायालय के समक्ष बयान में तात्विक विसंगतियां हैं।

8. इन स्पष्ट विसंगतियों का उल्लेख करने से पूर्व यह इंगित किया जाता है कि घटना दिनांक 27.1.1996 को अपराहन 10.30 घटित हुई थी। अभियोजन साक्षियों द्वारा यह कथित किया गया है कि उन्होंने अभियुक्तगण को चाँद की रोशनी में पहचान लिया था। हमें अभियोजन साक्षियों का यह संस्करण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने केवल चांद की रोशनी में अभियुक्तगण को पहचान लिया था। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में यह कथित किया गया है कि अभियुक्तगण के पास मशालें थीं, परंतु ऐसा कहीं अंकन नहीं आया है कि पीड़ित, वन रक्षक स्वामीनाथन (मृतक) और माली राजू, जिन्हें चोटें आईं, के पास मशालें हों।

9. चूंकि अभियुक्तगण के पास तथाकथित रूप से मशालें थीं, यह विश्वास योग्य नहीं है कि अभियोजन साक्षियों द्वारा हमलावरों की पहचान कर ली गई हो। स्थिति भिन्न होती अगर वन रक्षकों के पास मशालें होतीं, जिन्हें वे हमलावरों पर

इंगित करते, परंतु यहां स्थिति उल्टी है, बल्कि हमलावरों के पास मशाल होने से अभियोजन साक्षी आंशिक रूप से मसाल की रोशनी से चौंधिया गए होंगे और किसी की पहचान नहीं कर पाए होंगे।

10. जहां तक उपरोक्त वर्णित तात्विक विसंगतियों का प्रश्न है तो किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी को भी अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है। अभियुक्त संख्या 1 से 6 को बाद में ही नाम से फंसाया गया है। घटना के 8 घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस तरह अभियोजन के मामले में पश्चातवर्ती सुधार की संभावना थी। वन रक्षक पी.डब्ल्यू.1, जो सूचना देने वाले पहले व्यक्ति हैं, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने प्राथमिकी में आरोपियों के नामों का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि वह हमले और दूसरे वन रक्षक की मौत के कारण सदमे में था और इसलिए आरोपियों के नाम उसके दिमाग में नहीं आए। सूचना देने वाले के इस संस्करण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद नहीं, बल्कि उसके 8 घंटे बाद दर्ज की गई थी। इन 8 घंटों के बाद सूचना देने वाले के सदमे में कमी आ गई थी और तत्पश्चात उसके द्वारा अभियुक्तगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करने का कोई उचित कारण नहीं था जब उसने वास्तव में उन्हें देखा और पहचाना हो।

11. सूचक पी.डब्लू. 1 की साक्ष्य में अन्य विसंगति यह है कि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह उल्लेख किया कि अभियुक्त संख्या 1 (हाल अपीलार्थी) द्वारा देशी बंदूक से गोली चलाई गई थी जिससे मृतक, वन रक्षक व दूसरे व्यक्ति, माली को चोटें आई थीं, परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि जब अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उस पर गोली चलाई गई थी, तब उसे व दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ था, केवल माली को चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण में ऐसा कहीं अंकन नहीं है कि आरोपी संख्या 1

द्वारा गोली चलाने से मृतक को भी चोटें आई थीं। अतः पी.डब्ल्यू 1 इलनगोवन के कथन में यह भी एक तात्विक विसंगित है।

12. साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि लगभग छह अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाई थी, जिसके कारण स्वामीनाथन की मौत हो गई थी और माली को चोटें आई थीं और बाकी लोगों ने पत्थर फेंके थे, परंतु इन हमलावरों की पहचान संतोषजनक रूप से विशेष रूप से इसलिए साबित नहीं हुई क्योंकि रात के 10.30 बजे थे व चाँद की रोशनी के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। हमारे अभिप्राय में अपीलार्थी की दोषसिद्धि इन तथ्यों पर यथावत रखना सही नहीं है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए जो आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है। आगे, एसी कोई साक्ष्य यह इंगित नहीं करती है कि तथाकथित रूप से गोली चलाने वाले छह व्यक्तियों में से स्वामीनाथन की मृत्यु अपीलार्थी के गोली चलाने से ही हुई थी।

13. हम अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री कर्पगविनायकम से सहमत हैं कि अपीलार्थी का मामला अभियुक्त संख्या 2 से 6 से ज्यादा भिन्न नहीं है, क्योंकि साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि सभी छह अभियुक्तगण द्वारा गोली चलाई गई थी। चूंकि अभियुक्त संख्या 2 से 6 को दोषमुक्त किया जा चुका है, केवल अपीलार्थी संख्या 1 की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

14. पी.डब्ल्यू. 3 राजू ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने पुलिस को अनुसंधान के दौरान बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर और अन्य लोगों पर गोली चलाई थी। यह बचाव पक्ष के संस्करण की भी पुष्टि करता है कि वास्तव में अभियोजन पक्ष के अभियोजन साक्षियों द्वारा किसी भी हमलावर की पहचान नहीं की गई थी और यह केवल अभियोजन के मामले में पश्चातवर्ती किया गया सुधार है।

15. गौरतलब है कि पी.डब्ल्यू. 3 राजू ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी द्वारा देशी बंदूक से गोली चलाई गई थी जिससे स्वामीनाथन व उसे चोटें आई थीं, परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथित किया कि पुलिस अनुसंधान में उसने कहा था कि अपरिचित और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी। यह पी.डब्ल्यू. 3 राजू के कथन में दूसरी स्पष्ट विसंगति है। राजू ने यह भी कथित किया कि घटना के पश्चात पुलिस निरीक्षक ने उसे आरोपियों की पहचान करने के लिए नहीं कहा। चूँकि उसने यह कथित किया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस पर और स्वामीनाथन पर गोली चलाई गई थी, मुख्य परीक्षण में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उस पर गोली चलाने का संस्करण विश्वास योग्य नहीं है। हमारी राय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वामीनाथन और राजू पर गोली चलाई गई थी। किसी भी हाल में संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष कई अन्य तर्क पेश किए गए जैसे कि पत्थरों की बरामदगी नहीं की गई, किसी पर पत्थर की चोटें नहीं थीं, अभियुक्त संख्या 1 से 6 गिरफ्तारी के समय उनके पास कोई हथियार नहीं थे, छर्रों को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था, पहचान परेड नहीं हुई थी आदि, परंतु इन तर्कों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. हमारे मत में मामले के तथ्यों पर अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की भा.दं.स. की धारा 302 और अन्य प्रावधानों में दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। अपीलार्थी की अन्य किसी आपराधिक मामले में आवश्यकता न हो तो तुरंत रिहा किया जावे।

18. प्रकरण के पूर्ण होने से पहले हम यह कथित करना चाहते हैं कि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा हमारे समक्ष बड़ी क्षमता और आपराधिक विधि के गहन ज्ञान के साथ तर्क दिए गए।

एस.के.एस. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी शिवदान चौधरी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।